


डॉ. भीमराव अम्बेडकर





डॉ. भीमराव अम्बेडकर

जन्म व आरम्भिक जीवन

भीमराव का जन्म 14 अप्रैल, 1891 को महू (मध्य प्रदेश) में हुआ। उसके पिता श्री रामजी सकवाल व माता भीमाबाई थीं। पिता जी वहीं पर मिलिट्री स्कूल में हैडमास्टर थे। श्री रामजी धार्मिक विचारों के सात्विक व सेवापरायण व्यक्ति थे। वे संत कबीर के भक्त थे। उनका जात-पाँत व धर्म के आधार पर भेदभाव में तनिक भी विश्वास नहीं था। उन्हें साधु संतों के सत्संग व सान्निध्य में विशेष रुचि थी। उनके पूर्वज महार जाति के थे। भीमराव को मात्र 6 वर्ष की अल्पायु में मातृ स्नेह से वंचित होना पड़ा, जब माता भीमाबाई असमय स्वर्ग सिधार गईं।

अम्बेडकर के जन्म के बारे में एक रोचक कथा है। रामजी सकपाल के चाचा एक साधु थे। उन्होंने रामजी को एक बार आशीर्वाद दिया - 'तुम्हारे यहाँ एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जिसका पूरे संसार में नाम होगा।' इसी आशीर्वाद के बाद भीमराव का जन्म हुआ।

भीमराव की प्रारम्भिक शिक्षा डापोली कसबे तथा बाद में सतारा में हुई। 1907 में भीमराव ने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। अछूत समाज के लिये यह आश्चर्य की बात थी।

छुआछूत की पीड़ा

भीमराव जब स्कूल में पढ़ते थे तभी से उन्हें छुआछूत के कारण अपमान सहने पड़े। सतारा के हाई स्कूल में भीमराव का सम्पर्क अम्बावडेकर नाम के शिक्षक से हुआ। उस शिक्षक ने उनके नाम भीमराव में 'अम्बेडकर' जोड़ दिया। वह अपनी कक्षा के दूसरे विद्यार्थियों के साथ नहीं बैठ सकते थे। वे अपने हाथ से पानी नहीं पी सकते थे। जब कोई ऊपर से पानी डाल कर उन्हें पिलाता, वे तभी पी सकते थे। भीमराव का बड़ा भाई आनन्दराव था। दोनों भाई स्कूल में एक साथ पढ़ते थे परन्तु अछूत होने के कारण उन्हें एक कोने में फटे पुराने टाट पर बैठना पड़ता था। उन्हें अक्सर अध्यापकों व सहपाठियों से अपमानजनक शब्द भी सुनने पड़ते थे।

एक बार भीमराव और उसका बड़ा भाई आनन्दराव अपने पिता से मिलने गये। दोनों मैसूर के रेलवे स्टेशन पर गाड़ी से उतरे और आगे जाने के लिए उन्होंने एक बैलगाड़ी किराये पर ली। कुछ देर के बाद गाड़ीवान को मालूम हुआ कि ये दोनों लड़के महार हैं। उसने तुरंत ही गाड़ी रोकी और आगे से गाड़ी का जुआ ऊपर उठा दिया। बस दोनों लड़के लुढ़क कर नीचे आ गिरे। गाड़ीवान ने दोनों को खूब गालियाँ दीं।

गर्मी का मौसम था। दोनों भाइयों को बुरी तरह प्यास लगी। किसी ने उन्हें एक बूंद भी पानी पीने को नहीं दिया। इतना ही नहीं, उन्हें किसी तालाब या कुएँ के पास तक नहीं जाने दिया गया।

ऐसे ही एक दिन भीमराव ने पास के कुएँ से पानी लेकर पी

लिया। किसी ने उसे ऐसा करते देख लिया। देखते ही देखते बहुत लोग जमा हो गये और उन्होंने मिलकर भीमराव को बड़ी निर्दयता से पीटा।

एक दिन भीमराव को अपने बाल कटवाने थे। कोई नाई बाल काटना तो दूर, उसे छूने तक को राजी नहीं हुआ।

एक अन्य घटना। एक बार भीम स्कूल जा रहा था। जोर की वर्षा हो रही थी। वर्षा से बचने के लिए वह एक घर की दीवार के पास खड़ा हो गया। घर की मालकिन ने उसे देख लिया और आगबबूला हो गयी। उसने लड़के को धक्का दे दिया। भीम कीचड़ में जा गिरा और उसकी किताबें भी पानी में भीग गयीं।

इस प्रकार अनेक बार भीमराव को अपने जीवन में अच्छूत होने के नाते अपमानित होना पड़ा। इन सब घटनाओं ने उसके मन में आक्रोश का ज्वालामुखी खड़ा कर दिया। बालक भीमराव की समझ में यह नहीं आ रहा था कि क्यों उनके साथ ऐसा व्यवहार होता है। इस तरह के अपमान और भेदभाव से उत्पन्न पीड़ा ने उसके बालक-मन पर गहरा प्रभाव डाला। इसलिये उसमें बचपन से ही अन्याय व सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रवृत्ति ने जन्म लिया। उसने अनुभव किया कि छुआछूत हिन्दू धर्म पर एक कलंक है और उसने इसे जड़ से मिटाने का निश्चय किया।

वह बार-बार सोचता था कि आखिर लोग क्यों ऐसा व्यवहार करते थे? उसने क्या अपराध किया था कि अन्य जाति के लोग उसे छूना भी नहीं चाहते थे? उसका अपराध यही था कि वह महार जाति का था जो एक निम्न जाति थी। महार जाति की तरह कितनी ही

जातियाँ हमारे देश में हैं, जिन्हें अस्पृश्य या अछूत कहा जाता है और हजारों वर्षों से उनके साथ अन्याय व दुर्व्यवहार होता चला आया है।

अन्याय को रोकने का प्रयास

वैदिक युग में हमारे समाज में जातिप्रथा या वर्णव्यवस्था नहीं थी और इसीलिए अस्पृश्यता या छूआछूत भी नहीं थी। हम निश्चित रूप से नहीं जानते कि यह कुरीति हिन्दू समाज में किस कालखण्ड से आ घुसी। क्या कभी किसी ने इस अन्याय के विरुद्ध आवाज नहीं उठायी या इस भेदभाव को मिटाने की कोशिश नहीं की?

ऐसी बात नहीं है। भगवान बुद्ध ने बहुत से अछूतों को अपने धर्म में दीक्षित किया। रामानुजाचार्य, बसवेश्वर, चक्रधर, रामानन्द, कबीर, चैतन्य, एकनाथ, तुकाराम, राजा राममोहन राय और अन्य महापुरुषों ने यही उपदेश दिया कि हम सब लोग उस परमात्मा की सन्तान हैं और हममें न कोई बड़ा है और न छोटा। महात्मा फुले और उनकी पत्नी ने अपना पूरा जीवन अछूतों की सेवा-शिक्षा में ही लगा दिया। बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ ने बहुत पहले 1883 में ही अछूतों के लिए एक स्कूल स्थापित किया। इस प्रकार हिन्दू समाज के बहुत से विचारशील व्यक्ति व मानवतावादी चिंतक अस्पृश्यता को मिटाने के लिए निरन्तर प्रयत्न करते रहे हैं।

भारत के स्वाधीनता आन्दोलन में बहुत से महापुरुषों ने, जो तथाकथित निम्न जाति के थे, अपने जीवन की बलि दे दी। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ऐसे ही महापुरुषों में थे। ऊँच-नीच का भाव हिन्दू समाज में बुरी तरह घर कर गया था। अम्बेडकर जी ने इसके

कारण बड़े कष्ट और यातनाएँ सहीं। वे डट कर इस भेदभाव के विरुद्ध लड़े। आगे चलकर वह स्वतन्त्र भारत के विधिमंत्री बने। छुआछूत के कानून बनाने और इसको मिटाने के लिए आवश्यक वातावरण तैयार करने का श्रेय उन्हें जाता है।

जब भीमराव के पिता ने पत्नी की मृत्यु के पश्चात् दूसरा विवाह कर लिया तो उसके मन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा।

उसने निश्चय कर लिया कि उसे खूब पढ़ लिख कर आत्म-निर्भर बनना चाहिए। भीमराव को बचपन से ही पढ़ने का बड़ा शौक था। उनके पिता उनके लिए उधार लेकर भी पुस्तकें खरीद कर लाते और उसकी पढ़ने की जिज्ञासा को शांत करने का यत्न करते।

हाईस्कूल की पढ़ाई

उनके परिवार को बम्बई के परेल क्षेत्र में एक ऐसा मकान मिला जिसमें बेहद गरीब लोग रहते थे। पूरे परिवार के लिए एक ही कमरा था। इसमें दो लोगों के एक साथ सोने का भी स्थान नहीं था। भीमराव और उनके पिता बारी-बारी से सोते थे। जब उनके पिता सोते तो दीपक की हल्की रोशनी में भीमराव पढ़ने बैठ जाते।

हाईस्कूल में पढ़ते हुए ही उन्हें एक ऐसा आघात लगा जिसे वह जीवन भर भूल नहीं सके। भीमराव संस्कृत पढ़ना चाहते थे परन्तु तत्कालीन प्रथा के अनुसार निम्न जाति के होने के कारण वे संस्कृत नहीं पढ़ सकते थे। यह कैसी विडम्बना थी कि विदेशी लोग संस्कृत पढ़ सकते थे परन्तु भीमराव संस्कृत नहीं पढ़ सकते थे। इस घोर अन्याय ने उनकी सामाजिक असमानता और जातिवाद के विरुद्ध

विद्रोही प्रवृत्ति को और अधिक प्रबल बनाया। किन्तु अपने जीवन में आगे चलकर अम्बेडकर जी ने संस्कृत अवश्य पढ़ी।

एक अध्याय की समाप्ति

भीमराव ने 17 वर्ष की आयु में मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। उसी वर्ष मुम्बई में रमाबाई के साथ उनका विवाह सम्पन्न हुआ।

उन्होंने एलफिन्स्टन कॉलेज से इन्टरमीडियेट की परीक्षा पास की और 1912 में बी.ए. की डिग्री प्राप्त की।

1913 में उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। उस समय वे बड़ौदा के महाराजा के यहाँ नौकरी कर रहे थे। इस प्रकार उनके जीवन-संघर्ष का एक अध्याय समाप्त हुआ और दूसरा आरम्भ हुआ।

अमेरिका प्रवास

भीमराव की प्रतिभा व लग्न से प्रभावित होकर 1913 में महाराजा बड़ौदा ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेज दिया। उन्होंने 1915 में कोलम्बिया विश्वविद्यालय से एम.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण की। अमेरिका में रहकर उन्हें जीवन का भिन्न अनुभव मिला। वहाँ किसी प्रकार की अस्पृश्यता या छुआछूत नहीं थी। अमेरिका के इस खुले वातावरण से प्रभावित होकर उन्होंने अपने मित्र को लिखे एक पत्र में महान लेखक शेक्सपियर की कुछ पंक्तियाँ लिखीं, जिनका आशय था - 'हर आदमी के जीवन में कई बार एक ऊँची लहर आती है। अगर वह इस अवसर का सदुपयोग कर लेता है तो यह उसे अपने सौभाग्य की ओर ले जाती है।'

उनकी विद्वतापूर्ण रचनाओं (थीसिस) के कारण कोलम्बिया विश्वविद्यालय ने उन्हें पी.एचडी. की उपाधि प्रदान की। अमेरिका में रहते हुये उनकी भेंट लाला लाजपतराय से हुई।

अमेरिका में उन्होंने राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र जैसे कई विषयों का अध्ययन किया। वहाँ शिक्षा समाप्त कर अम्बेडकर ने लन्दन जाकर 'लन्दन स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स' में प्रवेश लिया। यहाँ उन्हें डी.एम.सी. की डिग्री प्राप्त करने के लिये थीसिस लिखने की अनुमति मिल गई परन्तु इस बीच छात्रवृत्ति की अवधि समाप्त हो जाने के कारण उन्हें वापस भारत लौटना पड़ा। बम्बई पधारने पर उनका बहुत स्वागत किया गया। उन्हें सिडनहम कॉलेज ऑफ कामर्स एण्ड इकोनोमिक्स में प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति मिल गई।

छुआछूत की पीड़ा जारी रही

जब उन्होंने भारत भूमि पर कदम रखा तो छुआछूत का शूल उन्हें बराबर चुभता रहा।

जब वह बड़ौदा पहुँचे तो उनका स्वागत करने कोई नहीं पहुँचा। इतना ही नहीं, कार्यालय के नौकर भी फाइलें उनके हाथ में न देकर उनके आगे फैंक देते थे। उन्हें कोई पानी तक पीने को नहीं देता था। इतने बड़े शहर में रहने के लिए उन्हें किसी ने मकान भी नहीं दिया। उन्होंने महाराजा से इसकी शिकायत की परन्तु कोई परिणाम नहीं निकला। यहाँ तक कि गैर-हिन्दू भी उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। परिणामतः उनके मन में एक गहरी वेदना थी जिससे

वे यथाशक्ति संघर्ष करना चाहते थे। कुछ ही दिनों में वे मुम्बई लौट आये।

1920 में अम्बेडकर जी कानून की पढ़ाई के लिए लन्दन गये। लन्दन के ब्रिटिश म्यूजियम (संग्रहालय) के पुस्तकालय में वे प्रातः 8 बजे से शाम 5 बजे तक अध्ययन करते थे। लन्दन में उनका सम्पर्क असनोदकर नाम के एक विद्यार्थी से हुआ। वह एक धनी परिवार का युवक था परन्तु उसका मन पढ़ने में नहीं लगता था। एक दिन अम्बेडकर जी ने उससे कहा - 'तुम्हारे घरवालों ने चाहे बहुत-सा धन जमा किया होगा परन्तु तनिक सोचो कि तुमने मनुष्य जन्म पाया है और तुम्हारे जीवन का कोई लक्ष्य अवश्य होना चाहिए। सरस्वती तुम्हारी दासी नहीं कि तुम जब चाहो वह तुम्हारे पास चली आएगी। इसलिए वह जब भी मिले तभी उसका आशीर्वाद ले लो।'

1922 में अम्बेडकर जी बैरिस्टर बन गये और अगले वर्ष वे भारत लौट आये।

'मूक नायक'

अछूतों की अपमानजनक स्थिति को लेकर उनके प्रति फैले द्वेष व घृणा को उजागर करने तथा उन्हें समान अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से एक पत्रिका 'मूक नायक' आरम्भ की गयी जिसे अम्बेडकर जी ने अपना पूरा समर्थन दिया। इस पत्रिका के पहले ही अंक में उन्होंने लिखा कि 'हिन्दू समाज एक बहुमजिली इमारत की तरह है। इसके भीतर जाने के लिए न कोई सीढ़ी है और न बाहर आने के लिए कोई द्वार। यह समाज एक ओर तो जड़ पदार्थों में भी ईश्वर को

देखता है परन्तु दूसरी ओर यह मानता है कि कुछ लोग जो उसी के अपने अंग हैं, छूने के योग्य भी नहीं हैं।'

अब ऐसा समय आ गया था और ऐसे लक्षण भी दिखाई देने लगे थे कि हिंदू समाज अस्पृश्यता जैसी अमानवीय प्रथा को अनुचित समझने लगा है।

कोल्हापुर के शाहू महाराज ने अछूतों के लिए निःशुल्क शिक्षा के प्रबन्ध किये और उन्हें रोजगार दिया। 1924 में वीर सावरकर अन्डमान की जेल (काला पानी) से छूट कर आये। उन्होंने भी अस्पृश्यता के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया।

चवदार ताल (तालाब) सत्याग्रह

अम्बेडकर जी ने स्वयं छुआछूत की पीड़ा, अन्याय व अपमान को अनुभव किया था। वह अछूतों के लिए दया की भीख नहीं माँगना चाहते थे। उनका विचार था कि अछूतों को दूसरों के हाथों सम्मान व न्याय कभी नहीं मिल सकता था। न्याय प्राप्त करने के लिए स्वयं उन्हीं को ही लड़ना पड़ेगा, जो अन्याय के शिकार हैं। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि अछूत सदियों से अपना आत्मविश्वास खो बैठे हैं। अतः उन्हें केवल भाषणों और नारों से नहीं जगाया जा सकता। उन्होंने हिन्दू-अंधविश्वासों के विरुद्ध विद्रोह करने की ठान ली। चवदार ताल सत्याग्रह इसी संकल्प का परिणाम था।

मुम्बई सरकार ऐसा एक बिल पास कर चुकी थी, जिसके अनुसार सार्वजनिक कुओं और तालाबों का प्रयोग सभी वर्गों के लोग समान रूप से कर सकते थे। इसी आधार पर महाड़ नगरपालिका ने

भी प्रस्ताव पारित किया था कि चवदार-ताल का प्रयोग अछूत भी कर सकते हैं। किन्तु इस प्रस्ताव पर कोई अमल नहीं हो रहा था।

अम्बेडकर जी ने इसी तालाब से पानी लेकर समानता का उद्घोष करने का संकल्प लिया। उन्होंने एक निश्चित दिन तालाब का पानी पिया। इसके बाद उनके बहुत से अनुयायियों ने यह पानी पिया। तब तक किसी अछूत को उस तालाब के पास भी नहीं जाने दिया जाता था। अम्बेडकर जी ने सिद्ध कर दिया कि ईश्वर ने जल सबके लिए बनाया है - इसमें जात-पाँत, ऊँच नीच, छोटे-बड़े का कोई औचित्य नहीं है।

इसके बाद पूरे गाँव में अफवाह फैला दी गई कि अम्बेडकर जी के अनुयायी वीरेश्वर मन्दिर में भी प्रवेश करेंगे। कुछ लोगों ने अम्बेडकर जी और उनके साथियों पर आक्रमण कर दिया। इसमें अम्बेडकर जी को चोटें आयीं। इस घटना ने भारत के सामाजिक जीवन व दृष्टिकोण को एक नई दिशा दी। विचारशील हिन्दुओं ने इस कृत्य की कड़ी निन्दा की। उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि अछूतों के कुँओं और तालों से पानी लेने में कोई अनुचित बात नहीं।

हिन्दू अपने लिए न्याय माँगते हैं पर दूसरों को न्याय देते नहीं

अम्बेडकर जी ने कुछ मूलभूत प्रश्न उठाये। यदि अछूत हिन्दू हैं तो फिर मन्दिरों के द्वार उनके लिए क्यों नहीं खुलते? यदि हिन्दू, ईसाइयों और मुसलमानों को छू सकते हैं तो वे अपने ही हिन्दू भाइयों को, जो उन्हीं के देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना करते हैं, क्यों नहीं

छूना चाहते? अम्बेडकर जी ने माँग की कि जो लोग छुआछूत मानते हैं और उसका समर्थन करते हैं, उन्हें दण्ड दिया जाना चाहिए। कुछ लोगों ने यह युक्ति दी कि अछूत समाज अभी समानता के योग्य नहीं है। इस पर अम्बेडकर जी ने कहा - 'हिन्दू चाहते हैं कि उन्हें स्वतंत्रता और लोकतन्त्र प्राप्त हो। परन्तु जिन लोगों ने स्वयं दूसरों को पिछड़ा बनाकर उनके अधिकारों को छीना है, वे अपने लिए लोकतन्त्र की माँग कैसे कर सकते हैं?'

1927 में एक विशाल सम्मेलन हुआ जिसमें यह निश्चय किया गया कि हिन्दू धर्म में जात-पाँत के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी जातियों के लोगों को मन्दिरों में पुजारी बनने की अनुमति होनी चाहिए। जब चवदार ताल का मामला न्यायालय में गया तो न्यायालय ने भी फैसला दिया कि तालाब सार्वजनिक सम्पत्ति है व उस पर सभी वर्गों का समान अधिकार है।

कदम बढ़ते गये

अछूत समाज को न्याय दिलाने के लिए अम्बेडकर जी ने कुछ निश्चित कदम सुझाये, जैसे - मन्दिरों में सभी हिन्दुओं का प्रवेश होना चाहिए, विधान-मण्डलों में अछूतों का प्रतिनिधित्व अधिक होना चाहिये। सरकार इन्हें नामजद न करे बल्कि लोग इन्हें स्वयं चुनकर भेजें। सेना और पुलिस में उनकी अधिक संख्या में भर्ती की जाये।

निडर और वृद्ध संकल्प

अम्बेडकर जी अछूतों की समस्या को लेकर इतने गम्भीर व

सुनिश्चल थे कि वे अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए किसी से भी टकराने को पूर्णतया तैयार थे।

ब्रिटिश सरकार ने भारत की समस्याओं पर विचार करने के लिए कई भारतीय नेताओं को बातचीत के लिए इंग्लैंड में आमंत्रित किया। इन्हें राऊंड टेबल कान्फ्रेंस या गोलमेज परिषद् कहा जाता था। गाँधीजी ने भी इसमें भाग लिया। इन परिषदों में अम्बेडकर जी ने सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि समाज के पिछड़े वर्गों के साथ समानता का व्यवहार नहीं होता। अछूतों को न्याय कैसे मिले, इस पर उन्होंने गाँधी जी का खुलकर विरोध किया। जो विचार उन्हें अच्छे लगे, उनका उन्होंने समर्थन भी किया। वे कुछ विषयों पर गाँधी जी से बिल्कुल सहमत नहीं थे।

1931 में दूसरी गोलमेज परिषद हुई। उसमें अम्बेडकर जी ने हरिजनों (अछूतों) के लिए पृथक निर्वाचन मण्डल बनाने का प्रस्ताव पारित करवा लिया। इसके अनुसार हरिजन अपने प्रतिनिधि स्वयं चुन सकते थे।

महात्मा गांधी का अनशन व पुणे पैक्ट

गाँधी जी का विचार था कि पृथक निर्वाचन मण्डलों के होने से हरिजन हिन्दुओं से दूर हो जाएँगे। हिन्दू और बँट जाएंगे। गाँधी जी यह कदापि नहीं चाहते थे। उन्होंने पृथक निर्वाचन के विरुद्ध आमरण अनशन शुरू कर दिया। बहुत से कांग्रेसी नेता गाँधीजी को बचाने के लिए अम्बेडकर जी के पास पहुँचे।

अम्बेडकर जी ने उनसे पूछा - "जब ईसाइयों और मुसलमानों

को पृथक मतदान का अधिकार मिला, तब गांधीजी ने उसके विरोध में अनशन क्यों नहीं किया? यदि आप लोग अछूतों को पृथक मतदान का अधिकार नहीं देना चाहते तो फिर इसका कोई विकल्प बताइए। परन्तु केवल गांधीजी को बचाने के लिए मैं पिछड़े वर्गों के हितों की बलि नहीं दे सकता।” उन्होंने स्वयं यह सुझाव दिया कि ‘अंग्रेजों ने जितने स्थान या सीटें हरिजनों को दी हैं यदि आप विधान-मण्डलों में हरिजनों के लिए उनसे अधिक संख्या में स्थान सुरक्षित करने को तैयार हैं, तो मैं पृथक निर्वाचन का दावा छोड़ दूँगा।’

आखिरकार अम्बेडकर जी और कांग्रेसी नेताओं में एक समझौता हो गया। इसके अन्तर्गत विधान मण्डलों में हरिजनों के लिए दस प्रतिशत स्थान सुरक्षित करने का निश्चय किया गया। इस पर अम्बेडकर जी ने पृथक निर्वाचन का अपना दावा छोड़ दिया और गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ दिया। इस समझौते को पुणे समझौता या पुणे पैक्ट कहा गया। यह पिछड़े वर्गों के संघर्ष में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है।

धर्म चाहिए, जाति नहीं

अम्बेडकर जी का दृढ़ विश्वास था कि छुआछूत जातिवाद का ही एक रूप है और जब तक जातपात का भेद बना रहेगा, तब तक अस्पृश्यता नहीं मिट सकती। वे यह भी मानते थे कि मनुष्य के लिए धर्म अनिवार्य है किन्तु उन्होंने उन लोगों का घोर विरोध किया जो धर्म के नाम पर अपने ही जैसे अन्य लोगों को पशुओं के समान समझते थे। बहुत लोगों ने उनकी कड़ी आलोचना की। कुछ

समाचार-पत्र भी उनके विरुद्ध लिखते रहे। अम्बेडकर जी अपने ही अनुभव से यह जानते थे कि जातिवाद के कारण बहुत से मेधावी व्यक्ति जीवन में अधिक उन्नति नहीं कर सकते थे। इसलिये वे जातिवाद के विरुद्ध आजीवन लड़ते रहे।

उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यदि हिन्दू धर्म छुआछूत को न्यायसंगत मानता है तो ऐसे धर्म को ही त्याग देना चाहिये। जब मौलवियों और ईसाई धर्म के लोगों ने उनकी यह घोषणा सुनी तो उन्होंने अम्बेडकर जी को अपनी ओर आकृष्ट करने का बहुत प्रयास किया। उन्होंने अम्बेडकर जी को आश्वासन दिया कि जो अछूत अपना धर्म छोड़कर हमारा धर्म ग्रहण करेंगे, उनके साथ पूरी समानता का व्यवहार किया जाएगा और उचित सम्मान दिया जाएगा।

संविधान निर्माता-आधुनिक मनु

भारत 15 अगस्त 1947 को स्वाधीन हुआ। अम्बेडकर जी स्वतंत्र भारत के पहले विधिमंत्री बने। किसी देश की स्वतंत्रता के पश्चात् सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका संविधान बनाना। चुनाव किस प्रकार से होने चाहिए? लोगों के लिये कानून कैसे बनाए जायें? सरकार कैसे काम करे? न्यायालय कैसे काम करें? उन सारी व्यवस्थाओं को निर्मित करना आवश्यक था। हमारे संविधान में इन सब प्रश्नों का समाधान किया गया है।

संविधान की संरचना एक बड़ी जटिल प्रक्रिया होती है। बहुत से देशों के संविधानों का अध्ययन, विधि का गहरा ज्ञान, भारतीय

इतिहास की सम्पूर्ण जानकारी, परिपक्वता व धैर्य और विभिन्न मतों, वर्गों, समुदायों को ध्यान में रखने का विवेक और बुद्धिमत्ता – इन सब गुणों की आवश्यकता थी।

29 अगस्त 1947 को भारत का संविधान बनाने के लिए एक समिति बनायी गयी। अम्बेडकर जी को इस समिति का अध्यक्ष चुना गया। संविधान के निर्माण में डॉ. अम्बेडकर की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही।

भारतीय संविधान पर जो चिंतन हुआ उसमें अम्बेडकर जी के इन शब्दों को स्मरण रखना चाहिए – “भारत ने अपने लोगों के ही देशद्रोह के कारण अपनी स्वतन्त्रता गँवाई थी। सिन्ध के राजा दाहिर को मुहम्मद बिन कासिम ने युद्ध में हराया था। सिन्ध के सेनापतियों ने कासिम के लोगों से घूस ले रखी थी और वे अपने राजा के लिए लड़े ही नहीं। पृथ्वीराज को पराजित करने के लिये जयचंद ने मुहम्मद गौरी का साथ दिया था। जब शिवाजी हिन्दुओं की खातिर लड़ रहे थे, तो कुछ स्वार्थी राजपूत सरदार मुगलों की ओर से लड़ रहे थे। अतः हम सब को यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि जब तक शरीर में रक्त की अन्तिम बूँद रहेगी, मैं भारत की स्वाधीनता की रक्षा के लिए लड़ूँगा।”

डॉ. अम्बेडकर महार जाति में पैदा हुए थे। अपनी जाति के कारण उन्हें कितने ही अपमान व कटाक्ष झेलने पड़े। किन्तु अपनी विलक्षण प्रतिभा, विद्वत्ता व अटल संकल्प शक्ति के कारण उन्होंने अपूर्व सफलता अर्जित की। उन्होंने भारत के संविधान की रचना की,

जिसके कारण वे आधुनिक मनु कहे जाते हैं। मनुस्मृति के रचयिता मनु प्राचीन भारत के बहुत बड़े विधिकर्ता थे।

अम्बेडकर जी की पहली पत्नी रमाबाई का स्वर्गवास हो गया। इसके बाद उन्होंने डॉ. शारदा कबीर से विवाह किया।

मंत्रीपद छोड़ने के बाद

सन् 1951 में अम्बेडकर जी ने अपने मंत्रीपद से त्यागपत्र दे दिया। कुछ दिन के बाद वे राज्यसभा के लिए चुन लिये गये। जब भी उन्हें यह लगता कि हरिजनों के साथ न्याय नहीं हो रहा तो वे सरकार की कटु आलोचना करने से नहीं चूकते।

1953 में सरकार ने संसद में एक बिल रखा। इसमें छुआछूत को अपनाने वालों को समुचित दण्ड देने की व्यवस्था की गयी थी।

भगवान् बुद्ध की शरण में

संविधान बनाने के बाद अम्बेडकर जी का मन बौद्धधर्म की ओर आकृष्ट हुआ। उन्हें शांतमय और न्यायपूर्ण व्यवस्था की चाह थी। इसके लिये वे भगवान् बुद्ध की शरण में गये। 1950 में वे बौद्ध सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्रीलंका गये। यह उनके जीवन का बहुत बड़ा निर्णय था। बहुत से लोग उनसे जिज्ञासावश पूछते थे कि आपने बौद्धधर्म ही क्यों चुना?

इसका उत्तर उन्होंने अपने मित्र श्री दत्तोपंत ठेंगडी को इन शब्दों में दिया था - 'मैं अपने जीवन के संध्याकाल में पहुँच चुका हूँ। हमारे समुदाय के लोगों पर भिन्न-भिन्न देशों से विभिन्न प्रकार के विचारों

का एक प्रकार का आक्रमण हो रहा है। संघर्षरत लोगों को इस देश की मुख्यधारा से अलग करने के और दूसरे मतों, धर्मों की ओर आकृष्ट करने के भारी प्रयास चल रहे हैं। मेरे अपने ही साथी, जो अस्पृश्यता, गरीबी और असमानता से व्यथित हैं, वे उनसे प्रभावित हुये बैठे हैं। फिर दूसरों के बारे में क्या कहेंगे? उन्हें राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा से अलग नहीं होना चाहिए और मुझे उनको रास्ता दिखाना ही चाहिए। साथ ही हमें आर्थिक और राजनैतिक जीवन में भी कुछ परिवर्तन करने होंगे। इसी कारण मैंने बौद्धधर्म स्वीकार किया।'

डॉ. अम्बेडकर मानते थे - हमारे देश में एक जीवन प्रणाली हजारों वर्षों से एक सतत प्रवाह की तरह चलती आयी है। बौद्धधर्म इसका विरोधी नहीं है। पिछड़े लोगों पर हुए अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना ही होगा। परन्तु इसका समाधान ऐसा होना चाहिये जो भारतीय इतिहास और संस्कृति को हानि पहुँचाने वाला न हो। वे इस सिद्धान्त को नहीं मानते थे कि आर्य किसी दूसरे देश से भारत आये और उन्होंने यहाँ के मूल निवासी दस्युओं (द्रविड़ों) को हराया। वेदों में इस बात को मानने का कोई आधार या प्रमाण नहीं मिलता। आर्य शब्द वेदों में लगभग 34 बार आया है। यह शब्द वहाँ एक विशेषण अर्थात् 'श्रेष्ठ' या 'बड़े' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।

14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक बड़े समारोह में अम्बेडकर जी ने अपनी पत्नी सहित बौद्धधर्म की दीक्षा ली।

साहित्यिक अभिरुचि

अम्बेडकर जी को पुस्तकों के लेखन-पठन में विशेष रुचि थी।

अपने निवास स्थान में ही उन्होंने एक पुस्तकालय बना रखा था। उनकी अपनी लिखी हुई कुछ पुस्तकें हैं - Untouchables (अस्पृश्य), Buddha And His Gospel (बुद्ध और उनके उपदेश), Revolution and Counter-Revolution in Ancient India (भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति), Buddha or Karl Marx (बुद्ध या कार्ल मार्क्स) और Riddle in Hinduism (हिन्दुत्व की पहली)। उनके लिखे हुये ग्रंथों से पता चलता है कि उनका अध्ययन कितना मौलिक, गहन व व्यापक था।

अनूठा व्यक्तित्व

वास्तव में उनकी उग्रता का कारण उनकी दयालुता थी और यही कारण था कि वे भगवान् बुद्ध की शरण में गये, जिन्हें दया का सागर माना जाता है। उनका हृदय दुखियों की दशा को देखकर पिघल जाता था। इसी कारण वे अस्पृश्यता के विरोधी थे।

उनके अनुयायियों में एक वृद्ध सज्जन थे। एक बार उन्होंने अम्बेडकर जी से कहा - 'मैंने भगवान् का कुछ व्रत लिया है और अपना व्रत पूरा करने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूँ।' अम्बेडकर जी ने मुस्कराते हुए कहा - 'आप से किसने कहा कि मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता। जाओ, जैसी इच्छा हो, वैसा करो।'

एक बार एक बूढ़ी स्त्री ने रात के दो बजे उनका द्वार खटखटाया और रोते हुए बताया - 'मेरा पति बहुत बीमार है। मैं बारह घंटे से उसे अस्पताल में भर्ती कराने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे वहाँ पर यह जवाब मिला कि अभी कोई बिस्तर खाली नहीं है।'

अम्बेडकर जी उसी समय स्वयं उसके साथ अस्पताल गये और उसके पति को अस्पताल में भर्ती कराकर लौटे।

एक बार जब डॉ. अम्बेडकर कॉलेज के प्रधानाध्यापक पद से त्यागपत्र दे चुके थे, एक लड़का उनके पास आया। यह लड़का ब्राह्मण था और बहुत ही गरीब था। उसे पिछले दो वर्ष से छात्रवृत्ति मिल रही थी। उसे डर था कि कहीं अंतिम वर्ष में छात्रवृत्ति बन्द न हो जाये। डॉ. अम्बेडकर ने उसकी बात सुनकर उसे सान्त्वना दी - 'चिन्ता मत करो, अगर ऐसी कोई समस्या हो तो मुझे बताना।'

स्वप्न पूरा हुआ

डॉ. अम्बेडकर अक्सर कहते थे, 'ईश्वर मुझे तब तक न उठाये जब तक मैं अछूतों के लिए अपने काम को पूरा नहीं कर लेता।' उन्होंने अपनी आँखों से देखा कि अस्पृश्यता को अपराध घोषित कर दिया गया। अछूतों को राजनैतिक समानता प्राप्त हो गयी। यह विचार भी देश में प्रबल होने लगा था कि उन्हें सामाजिक समानता मिलनी चाहिए।

अंतिम यात्रा - अद्भुत घटना

अम्बेडकर जी एक बार काफी बीमार थे। उन्हें पता चला कि उनका माली भी बीमार है। उन्होंने एक आदमी को अपने साथ लिया और छड़ी के सहारे माली को देखने उसके घर पहुँचे। माली को यह चिन्ता थी - 'अगर मैं मर गया तो मेरे परिवार की देखभाल कौन करेगा।' उसने डॉ. अम्बेडकर से यह बात कही। उन्होंने माली को सांत्वना देते हुए कहा - 'रोओ मत, हम सबको एक-न-एक दिन

मरना है। मुझे भी एक दिन मरना है। साहस रखो, मैं तुम्हारे लिए अभी दवा भेजता हूँ। तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे।' उन्होंने लौट कर माली के लिए दवा भिजवायी। इसके अगले ही दिन सोते-सोते ही अम्बेडकर जी का देहान्त हो गया।

इस प्रकार डॉ. अम्बेडकर ने 6 दिसम्बर, 1956 को मुम्बई में अपना शरीर त्याग दिया। असंख्य लोगों ने उनकी शवयात्रा में भाग लेकर उन्हें भावभीनी विदाई दी।

सिंह पुरुष

लोग उन्हें आदर व प्रेमपूर्वक बाबासाहब कहते थे। भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे सिंह पुरुष थे, जो साहसपूर्वक असमानता, जाप-पाँत, अन्याय और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आजीवन लड़ते रहे।

